



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-27112020-223368
CG-AP-E-27112020-223368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/ अग्रहायण 5, 1942

No. 531]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 24 नवम्बर, 2020

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2020

फा.सं.भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/4/170/2020.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42ई और 64यूएम के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (एक्स) और (एक्सए) तथा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के उपरांत इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

1.1 ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2020 कहलाएँगे। 1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे। तथापि, इन विनियमों के खंड 4.2 के उप-खंड (ख) और (ग) 1 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य: इन विनियमों का उद्देश्य एक कार्यक्षम और व्यावसायिक तरीके से पालिसीधारकों एवं साधारण बीमा उद्योग को सेवा प्रदान करने के लिए बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को एक समर्थकारी परिवेश उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में संशोधन करना है।

3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में,

3.1 विनियम 2 के उप-विनियम (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“अनुमोदित संस्था” से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और विनिर्दिष्ट संस्था अभिप्रेत है जो विशेष रूप से बीमा के क्षेत्र में शिक्षण और/या प्रशिक्षण में लगी हुई है।

3.2 विनियम 2 के उप-विनियम (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“कारपोरेट सर्वेक्षक” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित है अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन निगमित एक एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) है तथा जो सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस-प्राप्त है।

बशर्ते कि इन संशोधनों की अधिसूचना से पहले कारपोरेट सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस-प्राप्त, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन गठित वर्तमान भागीदारी फर्म कारपोरेट सर्वेक्षक के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

3.3 विनियम 2 के उप-विनियम 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

(i) परीक्षा से भारतीय बीमा संस्थान अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य संस्थानों द्वारा संचालित सर्वेक्षक और हानि निर्धारक परीक्षा के संबंधित प्रश्नपत्र(त्रों) में उत्तीर्णता अभिप्रेत है।

(ii) प्रशिक्षण से समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण का सफल समापन अभिप्रेत है।

3.4 विनियम 2 के उप-विनियम (11) को छोड़ दिया जाएगा।

3.5 विनियम 2 के उप-विनियम (12) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“सदस्य” से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है।

3.6 विनियम 2 के उप-विनियम (14) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“छात्र सदस्य” से संस्थान का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अधीन लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए प्राधिकरण के पास नामांकन करवाता है।

3.7 विनियम 2 के उप-विनियम (15) को छोड़ दिया जाएगा।

4. विनियम 3: वैयक्तिक सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन, और इससे संबंधित विषय

4.1 विनियम 3 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इन विनियमों के अंतर्गत परिभाषित रूप में छात्र सदस्य है और साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने का इच्छुक है, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले फार्म में लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4.2 विनियम 3 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

पात्रता मानदंड

(क) अर्हताएँ :

(i) इन विनियमों की अनुसूची I अनुबंध-1 में दी गई शैक्षणिक / तकनीकी / व्यावसायिक / बीमा अर्हताएँ।

(ii) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य अर्हताएँ।

(iii) “संस्थान का सदस्य” होगा।

(ख) परीक्षा: भारतीय बीमा संस्थान अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य संस्थान द्वारा संचालित सर्वेक्षक और हानि निर्धारक परीक्षा के संबंधित प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्रों) में उत्तीर्णता।

आवेदक जिसने इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है, को ऊपर 3(2)(ख) के अंतर्गत बताई गई परीक्षा पुनः देने से छूट दी जाती है।

छात्र सदस्य, जो नामांकन की तारीख से तीन वर्ष के अंदर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता और प्रशिक्षण पूरा नहीं करता, को अनिवार्यतः नये सिरे से नामांकन करवाना होगा।

वशर्ते कि वर्तमान छात्र सदस्य, जिसका नामांकन इन विनियमों की अधिसूचना से पहले 5 वर्ष पूर्व किया जा चुका है और जिसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना और परीक्षा उत्तीर्ण करना अभी बाकी है, के पास इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अंदर उक्त प्रशिक्षण पूरा करने और उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने का विकल्प होगा। यदि छात्र सदस्य प्राधिकरण के पास नामांकन किये जाने के बाद अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो वह विनियम 3(2) में बताये गये रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करेगा और प्रशिक्षण पूरा करेगा।

(ग) **प्रशिक्षण:** समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण।

4.3 विनियम 3 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

केवल आनलाइन प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:

- क. सभी प्रकार से विधिवत् भरा गया, विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म में आवेदन
- ख. पासपोर्ट आकार का हाल में लिया गया फोटो
- ग. पैन कार्ड
- घ. पते का प्रमाण
- ङ. अर्हता का प्रमाण
- च. सर्वेक्षक और हानि निर्धारक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में अंक-सूची तथा प्रशिक्षण समापन का प्रमाणपत्र
- छ. प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में घोषणापत्र-व-वचनपत्र
- ज. संस्थान द्वारा जारी किया गया सदस्यता प्रमाणपत्र
- झ. प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) विवरण
- ञ. विनिर्दिष्ट रूप में शुल्क के भुगतान का प्रमाण
- ट. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जानेवाला कोई अन्य दस्तावेज/ सूचना

आवेदक उक्त दस्तावेज आनलाइन अपलोड करेगा, परंतु मूल भौतिक प्रतियाँ अपने पास प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले लाइसेंस की विधिमान्यता की पूरी अवधि के दौरान रखेगा और प्राधिकरण द्वारा जब भी अपेक्षा की जाएगी तब उन्हें प्रस्तुत करेगा।

4.4 विनियम 3 के उप-विनियम (4) के खंड (क) में शब्द "इन विनियमों की अनुसूची II में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीएआई-17-एएफ में" को शब्द "विनिर्दिष्ट किये जाने वाले फार्म में" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4.5 विनियम 3 के उप-विनियम (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्; **शुल्क का भुगतान -** आवेदक विनियम 5 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट वापस न करने योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करेगा।

4.6 विनियम (3) के उप-विनियम (8) के खंड (ख) के उप-खंड (iv) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्; विनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखता है, भारतीय बीमा संस्थान अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

4.7 विनियम (3) के उप-विनियम (9) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

लाइसेंस प्रदान करना- प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्र है, सदस्यता संख्या तथा साधारण बीमा व्यवसाय के विशिष्ट वर्ग/विभाग अथवा विषय अर्थात् फायर, इंजीनियरिंग, मरीन कार्गो, मरीन हल, लाभ की हानि, मोटर, फसल और विविध का उल्लेख करते हुए इन विनियमों की अनुसूची II में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीएआई-2-एएफ में लाइसेंस आनलाइन प्रदान करेगा। लाइसेंस की भौतिक प्रति केवल अनुरोध पर ही जारी किया जाएगा।

5. विनियम 4: नया कारपोरेट लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन और संबंधित विषय

5.1 विनियम 4 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले फार्म में करेगा।

- 5.2 विनियम (4) के उप-विनियम (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;
कंपनी/ फर्म में हर समय कम से कम ऐसे दो निदेशक/ भागीदार होंगे जो संस्थान के सदस्य होंगे तथा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसप्राप्त होंगे। उनके संबंधित वैयक्तिक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस के अंतर्गत निदेशक/ भागीदार का विभाग वह विभाग होगा जिसके लिए कंपनी/फर्म लाइसेंस-प्राप्त है।
- 5.3 विनियम 4 के उप-विनियम (5) के खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा,
अर्थात्; सभी प्रकार से विधिवत् भरा गया, यथाविनिर्दिष्ट फार्म में आवेदन।
- 5.4 विनियम 4 के उप-विनियम (5) के खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा,
अर्थात्; निदेशकों/ भागीदारों को संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति
- 5.5 विनियम (4) के उप-विनियम (5) के खंड (ग) से (ड) को छोड़ दिया जाएगा।
- 5.6 विनियम 4 के उप-विनियम (5) के खंड (ढ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा,
अर्थात्; विनिर्दिष्ट रूप में दो लाइसेंसप्राप्त निदेशकों द्वारा वचनपत्र।
- 5.7 विनियम 4 के उप-विनियम (5) के खंड (त) को छोड़ दिया जाएगा।
- 5.8 विनियम 4 के उप-विनियम (5) के खंड (थ) को छोड़ दिया जाएगा।
- 5.9 विनियम 4 के उप-विनियम (5) के खंड (द) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा,
अर्थात्; शुल्क के भुगतान का प्रमाण।
- 5.10 विनियम (4) के उप-विनियम (5) के खंड (ध) में शब्दावली “(क्रम सं. (घ) से (ड) तक पर उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरीकृत की जाएँगी)” को छोड़ दिया जाएगा।
- 5.11 विनियम (4) के उप-विनियम (6) के खंड (1) और (2) के पूर्व, शब्द “अपेक्षित है” से पहले, शब्द “प्रत्येक कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से” रखे जाएँगे।
- 5.12 विनियम 4 के उप-विनियम (6) के खंड (1) में शब्द “आईआरडीए (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 के अंतर्गत” को “आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 के अंतर्गत” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 5.13 विनियम 4 के उप-विनियम (6) के खंड (2) में शब्द “इन विनियमों की अनुसूची II में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीएआई-18-एएफ” को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् “विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म में”
- 5.14 विनियम 4 के उप-विनियम (6) के खंड (3) में, शब्द “अपेक्षित” को “प्रत्येक कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से अपेक्षित है” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 5.15 विनियम 4 के उप-विनियम (7) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;
शुल्क का भुगतान- विनियम 5 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार एक वापस न करने योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करेगा।
- 5.16 विनियम 4 के उप-विनियम (11) में शब्दावली “कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक” के बाद शब्द “shall” निविष्ट किया जाएगा।
- 5.17 विनियम 4 के उप-विनियम (12) के खंड (घ) में शब्द “इन विनियमों की अनुसूची-I अनुबंध 2 में” को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् “विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म में”।
- 5.18 विनियम 4 के उप-विनियम (13) में शब्द “विभागों को निर्दिष्ट करते हुए” के बाद, शब्द “और सदस्यता का स्तर” छोड़ दिये जाएँगे।
- 5.19 विनियम 4 के उप-विनियम (15) के खंड (1) में, शब्द “उन विभागों में” के बाद शब्द “और सदस्यता का स्तर” छोड़ दिये जाएँगे।
- 5.20 विनियम 4 के उप-विनियम (15) के खंड (3) में शब्द “उन विभागों में” के बाद शब्द “और सदस्यता का स्तर” छोड़ दिये जाएँगे।

6. विनियम 5: शुल्क संरचना

6.1. विनियम 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए वैयक्तिक लाइसेंस प्रदान करने और उसके नवीकरण के लिए प्राधिकरण को देय वापस न करने योग्य प्रसंस्करण शुल्क केवल एक हजार रुपये होगा तथा कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के लिए यह केवल पाँच हजार रुपये होगा।

7. विनियम 6: नवीकरण लाइसेंस (वैयक्तिक/ कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) प्रदान करने के लिए आवेदन और संबंधित विषय

7.1 विनियम 6 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

(1) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, लाइसेंस के नवीकरण के लिए आनलाइन आवेदन यथाविनिर्दिष्ट फार्म में प्राधिकरण को लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले वैयक्तिक सर्वेक्षकों के लिए केवल एक हजार रुपये के तथा कारपोरेट सर्वेक्षकों के लिए केवल पाँच हजार रुपये के वापस न करने योग्य नवीकरण शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि जिस तारीख को लाइसेंस का प्रचलित होना समाप्त होता है उस तारीख से कम से कम 30 दिन पहले यदि नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो एक सौ रुपये का एक अतिरिक्त शुल्क आवेदक द्वारा प्राधिकरण को देय होगा।

आगे यह भी शर्त होगी कि प्राधिकरण यदि संतुष्ट होता है कि अन्यथा अनुचित कठिनाई उत्पन्न होगी, लाइसेंस की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किसी आवेदन को उसकी समाप्ति से छह महीने के अंदर आवेदक द्वारा सात सौ पचास रुपये के अर्थदंड का भुगतान करने पर स्वीकृत कर सकता है।

आगे यह भी शर्त होगी कि यदि नवीकरण के लिए आवेदन ऊपर विनिर्दिष्ट समय के अंदर प्राप्त नहीं किया जाता, तो लाइसेंस का प्रचलित होना समाप्त होगा।

आगे यह भी शर्त होगी कि यदि प्राधिकरण संतुष्ट होता है कि अन्यथा अनुचित कठिनाई उत्पन्न होगी, तो ऐसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से प्राप्त आवेदन जिसका लाइसेंस समाप्त हो गया हो और समाप्ति की तारीख से छह महीने के अंदर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, विनियम 3 अथवा विनियम 4, जैसी स्थिति हो, के अधीन लाइसेंस हेतु एक नये आवेदन के रूप में माना जा सकता है और उसका प्रसंस्करण किया जा सकता है।

आवेदक दस्तावेज आनलाइन अपलोड करेगा, परंतु मूल भौतिक प्रतियाँ प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये लाइसेंस की विधिमान्यता की समूची अवधि के दौरान अपने पास रखेगा तथा प्राधिकरण द्वारा जब भी अपेक्षा की जाएगी तब उन्हें प्रस्तुत करेगा।

7.2 विनियम 6 के उप-विनियम (3) और (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(3) नवीकरण के लिए आनलाइन प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेज

(क) वैयक्तिक के मामले में :

- i) यथाविनिर्दिष्ट फार्म में आवेदन
- ii) शुल्क के भुगतान का प्रमाण
- iii) प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) का विवरण
- iv) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जानेवाला कोई अन्य दस्तावेज/ सूचना

(ख) कारपोरेट सर्वेक्षकों के मामले में :

- i) यथाविनिर्दिष्ट फार्म में आवेदन
- ii) शुल्क के भुगतान का प्रमाण
- iii) प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) का विवरण
- iv) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जानेवाला कोई अन्य दस्तावेज/सूचना

(4) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन का प्रसंस्करण ऐसे आवेदन की प्राप्ति के समय विनियम 3 और विनियम 4 के अंतर्गत निर्धारित अन्य मानदंडों सहित, पात्रता मानदंडों, कार्य के निष्पादन तथा योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों के अनुपालन को हिसाब में लेते हुए किया जाएगा।

7.3 विनियम 6 के उप-विनियम (5) और (6) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

- (5) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस के नवीकरण के लिए पात्र है, उसका नवीकरण क) व्यक्तियों के मामले में फार्म-आईआरडीएआई 7-एलएफ में करेगा
ख) कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के मामले में अनुसूची II में दिये गये रूप में फार्म- आईआरडीएआई-8-एलएफ में करेगा।
- (6) इस प्रकार नवीकृत लाइसेंस नवीकरण की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा, जब तक उससे पहले निरस्त/लंबित/अभ्यर्पित नहीं किया जाता।

8. विनियम 7 : प्रक्रिया जहाँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन अस्वीकृत किया जाता है:

8.1 विनियम 7 के उप-विनियम (2) को छोड़ दिया जाएगा।

9. विनियम 8 : प्रक्रिया जहाँ लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन की स्वीकृति से इनकार किया जाता है:

विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

- (ग) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक ने विनियम 13 में विनिर्दिष्ट रूप में किसी भी कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन नहीं किया है।

10. विनियम 9: लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम:

10.1 विनियम 9 के उप-विनियम (1) में शब्द “इन विनियमों की अनुसूची II में दिये गये फार्म-आईआरडीएआई-9-एलएफ में” को “विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म में” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11. विनियम 13: सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और दायित्व:

11.1 विनियम 13 के उप-विनियम (1) के खंड (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्; पालिसी की शर्तों के अनुसार दावे की स्वीकार्यता पर टिप्पणी करना और बीमाकर्ता की देयता का निर्धारण करना

11.2 विनियम 13 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) और (ठ) को छोड़ दिया जाएगा।

विनियम 13 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) के बाद निम्नानुसार निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्; (द) कारपोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की अपेक्षा करनेवाली किसी कंपनी/ फर्म के निदेशक/भागीदार के रूप में नियुक्त कोई भी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक केवल आवेदक कंपनी/ फर्म के निदेशक/ भागीदार की क्षमता में ही सर्वेक्षण कार्य करेगा और सर्वेक्षण रिपोर्टें देगा।

12. विनियम 14:

12.1 अध्याय V का शीर्षक “सर्वेक्षकों का वर्गीकरण” छोड़ दिया जाएगा।

12.2 विनियम 14 का उप-विनियम (1) छोड़ दिया जाएगा।

12.3 विनियम 14 का उप-विनियम (2) छोड़ दिया जाएगा।

13. विनियम 15 - संस्थान के कार्य:

13.1 विनियम 15 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

(1)(क) सदस्यता: संस्थान पात्र व्यक्ति को सदस्यता के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर सदस्यता प्रदान करेगा।

(1)(ख): प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाएँ : लाइसेंस के बाद का प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सीधे या आनलाइन विभिन्न विभागों के लिए प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण के विभिन्न माड्यूलों के साथ दिया जाएगा, बशर्ते कि संस्थान के इस प्रकार के प्रशिक्षण, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

ज्ञान का उपर्युक्त कोटि-उन्नयन (अपग्रेडेशन) निरंतर व्यावसायिक विकास और कौशल का भाग है और लाइसेंसीकरण या नवीकरण के लिए पूर्वापेक्षा नहीं है।

13.2 विनियम 15 के उप-विनियम (2) में शब्द “संस्थान अस्वीकार करता है” से पहले शब्द “किसी भी स्तर का” छोड़ दिये जाएँगे।

14. विनियम 16 - आचरण-संहिता:

- 14.1 विनियम 16 के उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किये जाएँगे, अर्थात् : (3क) बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण के लिए सहमति-प्राप्त शुल्क को छोड़कर किसी भी प्रकार के अन्य कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ स्वीकार नहीं करता।
- 14.2 विनियम 16 के उप-विनियम (10) में, शब्द “बारह महीने की अवधि के लिए” छोड़ दिये जाएँगे।
- 14.3 विनियम 16 के उप-विनियम (18) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् : (18) किसी कंपनी/फर्म में सर्वेक्षण कार्य केवल एक कर्मचारी/निदेशक/भागीदार के रूप में ही ग्रहण करेगा। किसी कर्मचारी द्वारा सर्वेक्षण किये जाने की स्थिति में, सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे और कारपोरेट सर्वेक्षक के निदेशक/भागीदार द्वारा प्रति-हस्ताक्षर किये जाएँगे।
- 14.4 विनियम 16 के उप-विनियम (19) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किये जाएँगे, अर्थात्: (19क) - नियुक्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक द्वारा आचरण-संहिता के उल्लंघन की स्थिति में बीमाकर्ता जाँच संचालित करेगा।
(19ख)- बीमाकर्ता और कंपनी/फर्म के निदेशक/भागीदार सुनिश्चित करेंगे कि अंतरिम और अंतिम सर्वेक्षण और हानि निर्धारण लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक द्वारा किया जाएगा।
(19ग)- कंपनी/फर्म के निदेशक और भागीदार कंपनी/फर्म द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के सभी कार्यों पर उचित और विवेकपूर्ण निगरानी रखेंगे।

15. विनियम 17: प्रशिक्षणार्थी आवेदक:

विनियम 17 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

- (1) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस की अपेक्षा करनेवाला छात्र सदस्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्राधिकरण के पास नामांकन करवाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
- (2) प्रत्येक आवेदक जो एक छात्र सदस्य है:
- (क) नैतिकतापूर्ण ढंग से और न्यायनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा। न्यायनिष्ठा का अर्थ केवल ईमानदारी ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष व्यवहार और सत्यनिष्ठा भी है।
- (ख) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विधिमान्य लाइसेंस को धारण किये बिना कोई भी सर्वेक्षण कार्य स्वीकार नहीं करेगा/निष्पादित नहीं करेगा/प्रारंभ नहीं करेगा तथा कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी नहीं करेगा।
- (ग) हर समय, प्रशिक्षण का उचित अभिलेख रखेगा।
- (घ) किसी भी एजेंसी द्वारा उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई किसी भी कार्यवाही अथवा लंबित अथवा की गई जाँच से संबंधित सूचना तथा उसके परिणाम का समस्त ब्योरा प्रकट करेगा।
- (ङ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य अनुदेशों का पालन करेगा।
- (3) छात्र सदस्य विनियम 3 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करेगा तथा प्रशिक्षण समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा;
- (4) यदि प्राधिकरण द्वारा पहले से ही लाइसेंस प्रदत्त कोई सर्वेक्षक और हानि निर्धारक साधारण बीमा व्यवसाय के उस विभाग को छोड़कर जिसके लिए उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है, अन्य विभाग (विभागों) के लिए इसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, तो वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा।

16. विनियम 18 को छोड़ दिया जाएगा।**17. विनियम 21: बीमाकर्ताओं द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण**

विनियम 21 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

- (1) प्रत्येक बीमाकर्ता सर्वेक्षकों का पैल बनाने, सर्वेक्षकों का उपयोग करने तथा लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों को सर्वेक्षण कार्यों का आबंटन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सर्वेक्षक प्रबंध नीति लागू करेगा।
- (2) प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों में निर्धारित आचरण-संहिता तथा कर्तव्यों और दायित्वों के अनुपालन सहित, सर्वेक्षकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करेगा। बीमाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह अपनी जानकारी में लाये गये आचरण-

संहिता के उल्लंघन के मामले में जाँच करे, आवश्यक पूछताछ और जाँच-पड़ताल संचालित करे और जहाँ भी उल्लंघन सिद्ध हो जाता है वहाँ ऐसे मामलों की सूचना तत्काल प्राधिकरण को दे।

(3) प्रत्येक बीमाकर्ता वार्षिक तौर पर लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों के कदाचार के संबंध में प्राधिकरण के पास रिपोर्ट फाइल करेगा।

(4) प्रत्येक बीमाकर्ता निम्नलिखित ब्योरे तथा इस प्रकार के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा:

- व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए सर्वेक्षकों के उपयोग का ब्योरा, अनुमानित दावा राशि सहित जिसके आधार पर सर्वेक्षक नियुक्त किया गया है;
- सर्वेक्षकों के द्वारा रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमाओं का ब्योरा;
- सर्वेक्षकों के विरुद्ध यदि कोई शिकायतें हों तो उनका तथा सर्वेक्षकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, सहित शिकायतों के निपटान की पद्धति का ब्योरा।
- लंबित सर्वेक्षण शुल्क का ब्योरा।
- गुणवत्ता तथा विनियामक समय-सीमाओं और आचरण-संहिता के अनुपालन के तौर पर सर्वेक्षकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी का ब्योरा।
- रोजगार नियमों के अंतर्गत कर्मचारी सर्वेक्षकों पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, सहित लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों के कदाचार संबंधी तिमाही डेटा।
- यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में छमाही डेटा।
- सूचित किये गये दावों की संख्या, आंतरिक/ वैयक्तिक/ कारपोरेट सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण किये गये दावों की संख्या, निपटाये गये दावों की संख्या, भुगतान की गई राशियों, बकाया दावों की संख्या, संबद्ध राशियों, बकाया दावों के लिए कारणों, दावा निपटान के लिए लिये गये समय, दावा निपटान अनुपात का ब्योरा। उक्त रिपोर्ट राज्य-वार, सर्वेक्षक-वार, राशि-वार अथवा उपयुक्त समझे जानेवाले किसी अन्य मानदंड पर तैयार की जाए।

ऊपर दिया गया ब्योरा वैयक्तिक सर्वेक्षकों और कारपोरेट सर्वेक्षकों के लिए राज्य-वार, सर्वेक्षक-वार, राशि-वार अलग-अलग रखने की आवश्यकता है तथा यह बीमा नियम, 1939 के नियम 39 के उप-नियम (8) में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार रखा जाएगा जब तक कोई मुकदमा संबद्ध न हो जिस स्थिति में यह तब तक रखा जाएगा जब तक इसकी आवश्यकता होगी।

इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना, रिपोर्टों, डेटा का अनुरक्षण जब भी आवश्यक होगा अथवा जब भी माँगा जाएगा तब प्राधिकरण को समय पर प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/ डिजिटल रूप में किया जाएगा।

(5) कोई अन्य संबंधित डेटा/ अपेक्षा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

18. विनियम 25 के बाद, निम्नलिखित विनियम को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्

25 (क) लाइसेंस का स्वैच्छिक अभ्यर्पण -

(1) इन विनियमों के अधीन लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, चाहे व्यक्ति हो या कारपोरेट, अपने लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

क. सौंपे गये सभी चालू कार्यों के समापन की एक घोषणा तथा यह घोषणा कि लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए अनुरोध करने की तारीख से कोई नया मामला हाथ में नहीं लिया गया है;

ख. लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए कारण दर्ज करते हुए निदेशक मंडल के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति (कारपोरेटों के मामले में)

ग. कंपनियों के रजिस्ट्रार को सूचित करना और जानकारी देना तथा संस्था के बहिर्नियमों (एमओए)/संस्था के अंतर्नियमों (एओए) के मुख्य उद्देश्यों के विलोपन के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उनकी अपेक्षाओं का अनुपालन करना अथवा कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास कंपनी को अपंजीकृत करने के लिए उठाये गये कदमों का प्रमाण प्रस्तुत करना (कारपोरेटों के मामले में)। विधिमान्य लाइसेंस की मूल प्रति।

घ. प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है बशर्ते कि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करने से पहले सभी विनियामक अपेक्षाओं का पालन करता हो।

- (2) अभ्यर्पण के लिए आवेदन को स्वीकृत करने के बाद, प्राधिकरण लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए एक आदेश पारित कर सकता है।
- (3) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक जिसका लाइसेंस अभ्यर्पित किया गया हो तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया हो, तदुपरान्त नये बीमा दावों से संबंधित कोई सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य नहीं करेगा।

19. विनियम 17 - अस्थायी उपबंधों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए अर्हता की आवश्यकता

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी हैं तथा उन आवेदकों पर लागू होंगी जो इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करते हैं। बशर्ते कि, यदि पहले से लाइसेंसप्राप्त कोई सर्वेक्षक और हानि निर्धारक साधारण बीमा व्यवसाय के किसी नये विभाग में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा करता है, तो वह इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसे नये विभाग के संबंध में अर्हताओं और अन्य मानदंडों को पूरा करने के बाद ऐसे नये विभाग के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

20. विनियम 27 के बाद, निम्नलिखित विनियम को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

विनियम 28: दिशानिर्देश बनाने के लिए शक्ति

प्राधिकरण निम्नलिखित के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकता है:

- 1) व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुमोदित संस्थाएँ
- 2) लाइसेंस और नवीकरण के आवेदन के लिए फार्म
- 3) शुल्क के भुगतान की पद्धति
- 4) घोषणापत्र व वचनपत्र के लिए फार्मेट
- 5) फार्मेट के साथ योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) के मानदंड
- 6) इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज और प्रक्रियाएँ

21. अनुसूची-1, अनुबंध-1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

अनुसूची - 1

अनुबंध-1

आईआरडीआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक)

(संशोधन) विनियम, 2015

सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के नामांकन और लाइसेंसीकरण के लिए अर्हता मानदंड

(विनियम 3)

क्रम सं.	विभाग	शैक्षिक/ तकनीकी/ व्यावसायिक/ बीमा अर्हताएँ
1.	फायर	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. या उसकी समकक्ष, तीन वर्षीय अवधि का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान/भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के असोसिएट या फेलो सदस्य, भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) के फेलो सदस्य, आईआईआरएम से बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; राष्ट्रीय बीमा अकादमी से पीजीडीएम
2.	मरीन कार्गो	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. या उसकी समकक्ष (मरीन इंजीनियरिंग/नौ-संरचना)/मान्यताप्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी जहाज के मास्टर के रूप में क्षमता का प्रमाणपत्र या प्रथम श्रेणी के मरीन इंजीनियर की उपाधि, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की नौ-संरचना में उपाधि या डिप्लोमा। तीन वर्षीय अवधि का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान/भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)/(आईआईआई) के असोसिएट या फेलो सदस्य, आईआईआरएम से बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एमबीए (लाजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला प्रबंध), राष्ट्रीय बीमा अकादमी से पीजीडीएम
		बी.ई./बी.टेक./बी.एससी (इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. या उसकी समकक्ष (मरीन इंजीनियरिंग/नौ-

3.	मरीन हल	संरचना)/किसी मान्यताप्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी जहाज के मास्टर के रूप में क्षमता का प्रमाणपत्र या प्रथम श्रेणी के मरीन इंजीनियर की उपाधि
4.	इंजीनियरिंग	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. या उसकी समकक्ष योग्यता, किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या उसकी समकक्ष योग्यता
5.	मोटर	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. या उसकी समकक्ष (मेकानिकल/आटोमोबाइल); मेकानिकल इंजीनियरिंग/आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या उसकी समकक्ष योग्यता
6.	विविध	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजीनियरिंग)/ए.एम.आई.ई. या उसकी समकक्ष, किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या उसकी समकक्ष योग्यता; आईसीएआई (सीए/सीएमए) का असोसिएट या फेलो सदस्य; भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) का फेलो सदस्य या आईआईआरएम से बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, राष्ट्रीय बीमा अकादमी से पीजीडीएम
7.	एलओपी	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान /भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य, बी.टेक/बी.ई., तीन वर्ष की अवधि का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
8.	फसल बीमा	बी.एससी. कृषि / बी.एससी. बागवानी/ बी.टेक. (कृषि इंजीनियरिंग)

टिप्पणी:

नामांकन और लाइसेंसिकरण हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक को एक नियमित छात्र के रूप में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के बाद किसी मान्यताप्राप्त संस्थान की उपाधि (डिग्री) या डिप्लोमा प्राप्त कर लेना चाहिए अथवा अंशकालिक पाठ्यक्रम द्वारा संबंधित संस्थान/ विश्वविद्यालय से जारी किया गया समकक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। बशर्ते कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अर्थात् ए.एम.आई.ई., सीए/सीएमए (आईसीएआई) और आई.आई.आई. के मामले में पाठ्यक्रम समापन प्रमाणपत्र को विधिमान्य अर्हता के रूप में माना जाएगा।

उपर्युक्त सभी तकनीकी उपाधि (डिग्री)/ डिप्लोमा क. एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से अथवा ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों से अथवा ग. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं से प्राप्त किये जाएंगे।

22. i) अनुसूची I, अनुबंध 2, में योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) के मानदंड छोड़ दिये जाएँगे।

ii) अनुसूची II में, निम्नलिखित फार्म छोड़ दिये जाएँगे।

- क. फार्म-आईआरडीएआई-1-एएफ
- ख. फार्म - आईआरडीएआई - 3 - एएफ
- ग. फार्म-आईआरडीएआई-5 - एएफ
- घ. फार्म-आईआरडीएआई-6 - एएफ
- ङ. फार्म-आईआरडीएआई-9 - एएफ
- च. फार्म-आईआरडीएआई-13
- छ. फार्म-आईआरडीएआई-14
- ज. फार्म-आईआरडीएआई-15
- झ. फार्म-आईआरडीएआई-16
- ञ. फार्म-आईआरडीएआई-17-एएफ
- ट. फार्म-आईआरडीएआई-18 एएफ
- ठ. फार्म - आईआरडीएआई - 19

23. अनुसूची-II में, निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएँगे:

- क. फार्म-आईआरडीएआई-2-एलएफ में शब्द "एकमात्र स्वामी के रूप में कार्यरत" तथा "सदस्यता का स्तर" और सारणी में "सदस्यता का स्तर" छोड़ दिये जाएँगे।
- ख. फार्म-आईआरडीएआई-4-एलएफ में शब्द "सदस्यता के स्तर" छोड़ दिये जाएँगे।

- ग. फार्म-आईआरडीएआई-7-एलएफ में शब्द “एकमात्र स्वामी के रूप में कार्यरत” तथा “सदस्यता का स्तर” छोड़ दिये जाएँगे।
- घ. फार्म-आईआरडीएआई-8-एलएफ में शब्द “और श्रेणियाँ” छोड़ दिया जाएगा।
- ङ. फार्म-आईआरडीएआई-10-एलएफ में शब्द “सदस्यता का स्तर” छोड़ दिये जाएँगे।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिया, अध्यक्ष

[विज्ञापन / III / 4 / असा. / 385 / 2020-21]

टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में संख्या 359 दिनांक 3 नवंबर 2015 के अनुसार प्रकाशित किये गये तथा इनमें पिछला संशोधन संख्या 205 दिनांक 17 मई 2017 के अनुसार किया गया।

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 24th November, 2020

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (Amendment) Regulations, 2020

F. No. IRDAI/Reg/4/170/2020.—In exercise of the powers conferred by clause (x) and (xa) of sub-section 2 of Section 114A read with Sections 42D, 42E and 64UM of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), and Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), as amended from time to time, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following amendments to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015, namely;

1. Short Title and Commencement:

- 1.1 These Regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (Amendment) Regulations, 2020.
- 1.2 These Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. However, sub-clauses (b) and (c) of clause 4.2 of these Regulations shall come into force with effect from 1st April, 2021.

2. Objective:

The objective of these Regulations is to amend the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015 to provide an enabling environment to the Insurance Surveyors and Loss Assessors for rendering service to the policyholders as well as the general insurance industry in an efficient and professional manner.

3. In the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015,

- 3.1 Sub-Regulation (4) of Regulation 2 shall be substituted, namely; “Approved Institution” means an institution engaged in education and/or training particularly in the area of insurance, approved and specified by the Authority.
- 3.2 Sub-Regulation (5) of Regulation 2 shall be substituted, namely; “Corporate Surveyor” means a Company incorporated under Companies Act, 2013 or an LLP (Limited Liability Partnership) incorporated under the Limited Liability Partnership Act, 2008 and who is licensed to act as Surveyor and Loss Assessor.

Provided that existing Partnership Firms constituted under the Indian Partnership Act 1932, licensed to act as Corporate Surveyor prior to notification of these amendments shall continue to act as Corporate Surveyor.

3.3 Sub-Regulation 7 of Regulation 2 shall be substituted, namely;

- (i) Examination means passing of relevant paper(s) of Surveyor and Loss Assessor Examination conducted by the Insurance Institute of India or by such other Institutes recognized by the Authority.
- (ii) Training means successful completion of practical training specified by the Authority from time to time.

- 3.4 Sub-Regulation (11) of Regulation 2 shall be omitted.
- 3.5 Sub-Regulation (12) of Regulation 2 shall be substituted, namely; “Member” means Member of the Institute.
- 3.6 Sub-Regulation (14) of Regulation 2 shall be substituted, namely; “Student Member” means a Member of Institute who enrolls with the Authority to pass the examination and complete practical training to be eligible to apply for a licence under these Regulations.
- 3.7 Sub-Regulation (15) of Regulation 2 shall be omitted.

4. Regulation 3 - Application for, and Matters Relating to, Grant of Licence to Individual Surveyors and Loss Assessors:

- 4.1 Sub-Regulation (1) of Regulation 3 shall be substituted, namely; Every person who is a Student Member as defined under these Regulations and intending to act as a Surveyor and Loss Assessor in respect of general insurance business shall apply to the Authority for grant of licence in the Form as may be specified by the Authority.
- 4.2 Sub-Regulation (2) of Regulation 3 shall be substituted namely;

Eligibility Criteria:

(a) Qualifications:

- (i) Academic/technical/professional/Insurance Qualifications given in Schedule-I Annexure-1 of these Regulations.
- (ii) Other qualifications as may be prescribed by the Authority from time to time.
- (iii) Shall be a “Member of Institute”

(b) Examination: Passing of relevant paper(s) of Surveyor and Loss Assessor Examination conducted by the Insurance Institute of India, or such other Institute recognized by the Authority.

An applicant who has successfully passed the examination for obtaining a licence to act as Surveyor and Loss Assessor as on the date of notification of these Regulations, is exempted from taking the examination once again as stated under Regulation 3 (2) (b).

A Student Member who does not pass the examination and complete the training within three years from the date of enrolment must enroll afresh.

Provided that existing student member, who is already enrolled with the Authority not later than 5 years before notification of these Regulations and yet to complete training and pass the examination, shall have the option to complete the training, and pass the examination within a period of three years from the date of notification of these Regulations. In case the Student Member after enrolling with the Authority has not yet undergone training he shall pass the examination and complete training as stated in Regulation 3 (2).

(c) Training: Practical Training as specified by the Authority from time to time.

- 4.3 Sub-Regulation (3) of Regulation 3 shall be substituted, namely;

Documents to be submitted online only:

- a. Application in form as may be specified, duly complete in all respects;
- b. Recent passport size photo;
- c. PAN card;
- d. Address Proof;
- e. Proof of Qualification;
- f. Marks sheet in support of having passed the Surveyor and Loss Assessor Examination and Training completion certificate;
- g. Declaration-cum-Undertaking in the Format as specified by the Authority;
- h. Membership Certificate issued by the Institute;

- i. Fit and Proper statement in the Format as specified by the Authority;
- j. Evidence of fee payment as may be specified;
- k. Any other document/information that may be required by the Authority from time to time;

The applicant shall upload the documents online but shall maintain the original physical copies with him throughout the period of validity of licence issued by the Authority and shall produce the same whenever sought by the Authority.

4.4 In Clause (a) of Sub-Regulation (4) of Regulation 3, the words “in the FORM-IRDAI-17-AF as given in Schedule-II to these Regulations” shall be substituted, namely “in the Form as may be specified”.

4.5 Sub-Regulation (5) of Regulation 3 shall be substituted, namely; payment of fees - The applicant shall pay non-refundable processing fees as specified under Regulation 5.

4.6 Sub-Clause (iv) of Clause (b) of Sub-Regulation (8) of Regulation 3 shall be substituted, namely;

Possesses the specified qualifications, has passed the examination conducted by the Insurance Institute of India or any other Institute recognized by the Authority and has successfully completed practical training as specified by the Authority.

4.7 Sub-Regulation (9) of Regulation (3) shall be substituted, namely;

Grant of Licence -The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for grant of licence, shall grant the same online in FORM-IRDAI-2-LF as given in the Schedule-II to these Regulations mentioning membership number and the particular class/department or subject of general insurance business namely, fire, engineering, marine cargo, marine hull, loss of profit, motor, crop and miscellaneous. The physical copy of licence will be issued only on request.

5. Regulation 4 - Application for Grant of Fresh Corporate Licence and Related Matters:

5.1. Sub-Regulation (1) of Regulation 4 shall be substituted, namely;

An applicant desiring to obtain a Corporate Surveyor and Loss Assessor licence shall do so in the Form as may be specified by the Authority.

5.2. Sub-Regulation (4) of Regulation 4 shall be substituted, namely;

There shall be at least two Directors / Partners in the Company / Firm at any point of time who are members of the Institute and are licensed to act as Surveyor and Loss Assessor. The department of the Director/ Partner under their individual Surveyor and Loss Assessor licence shall be the department for which the Company / Firm is licensed.

5.3 Clause (a) of Sub-Regulation (5) of Regulation 4 shall be substituted, namely;

Application in the Form as specified, duly complete in all respects.

5.4 Clause (b) of Sub-Regulation (5) of Regulation 4 shall be substituted namely;

Copy of membership certificate issued by the Institute to the Directors / Partners.

5.5 Clause (c) to (m) of Sub-Regulation (5) of Regulation 4 shall be omitted.

5.6 Clause (n) of Sub-Regulation (5) of Regulation 4 shall be substituted, namely;

Undertaking by two licensed Directors as may be specified.

5.7 Clause (p) of Sub-Regulation (5) of Regulation 4 shall be omitted.

5.8 Clause (q) of Sub-Regulation (5) of Regulation 4 shall be omitted.

5.9 Clause (r) of Sub-Regulation (5) of Regulation 4 shall be substituted, namely;

Evidence of fee payment.

5.10 In clause (s) of Sub-Regulation (5) of Regulation 4, the wordings “(Copies of documents at Sl. no (d) to (m) shall be notarized)” shall be omitted.

5.11 Clause (1) and (2) of Sub-Regulation (6) of Regulation 4 shall be prefixed with “Every Corporate

Surveyor and Loss Assessor is” before the word “required”.

- 5.12 In clause (1) of Sub-Regulation (6) of Regulation 4, the wording “under IRDA (Protection of Policyholder’s Interests) Regulations, 2002” shall be substituted with “under IRDAI (Protection of Policyholders’ Interests) Regulations, 2017”.
- 5.13 In Clause (2) of Sub-Regulation (6) of Regulation 4, the words “in the FORM-IRDAI-18-AF as given in Schedule-II to these Regulations” shall be substituted, namely “in the Form as may be specified”.
- 5.14 In Clause (3) of Sub-Regulation (6) of Regulation 4, the word “require” shall be substituted with “Every Corporate Surveyor and Loss Assessor is required”.
- 5.15 Sub-Regulation (7) of Regulation 4 shall be substituted, namely; Payment of fees-Shall pay non-refundable processing fees as provided under Regulation 5.
- 5.16 In Sub-Regulation (11) of Regulation 4, the word “shall” be inserted after the wording “Corporate Surveyor and Loss Assessor”.
- 5.17 In Clause (d) of Sub-Regulation (12) of Regulation 4, the word “in Schedule-I Annexure-2 of these Regulations” shall be substituted, namely; “in the Form as may be specified”.
- 5.18 In Sub-Regulation (13) of Regulation 4, the words, “and membership level” after the words “indicating the departments” shall be omitted.
- 5.19 In clause (1) of Sub-Regulation (15) of Regulation 4, the words “and level of membership” after the words “in those departments” shall be omitted.
- 5.20 In clause (3) of Sub-Regulation (15) of Regulation 4, the words “and level of membership”, after the words “in those departments”, shall be omitted.

6. Regulation 5: Fee structure:

- 6.1 Regulation 5 shall be substituted, namely;

The non-refundable processing fee payable to the Authority for grant and renewal of individual licence to act as Surveyor and Loss Assessor shall be rupees one thousand only and for Corporate Surveyor and Loss Assessor it shall be rupees five thousand only.

7. Regulation 6 - Application for Grant of Renewal Licence (Individual / Corporate Surveyor and Loss Assessor) and Related Matters:

- 7.1 Sub-Regulation (1) of Regulation 6 shall be substituted, namely;

(1) A Surveyor and Loss Assessor shall submit the online application for renewal of licence to the Authority in the Form as specified, at least thirty days before the expiry of licence, along with a non-refundable renewal fee of rupees one thousand only for Individual Surveyors and rupees five thousand only for Corporate Surveyors.

Provided that if renewal is not applied at least 30 days before the date on which the licence ceases to remain in force, an additional fee of rupees one hundred shall be payable by the applicant to the Authority.

Provided further that the Authority may, if it is satisfied that undue hardship would be caused otherwise, accept any application submitted after expiry of the licence, within six months of its expiry on payment by the applicant of a penalty of rupees seven hundred and fifty.

Provided further that if an application for renewal is not received within the time specified above the licence shall cease to exist.

Provided further that, if the Authority is satisfied that undue hardship would be caused otherwise, an application from such Surveyor and Loss Assessor whose licence has expired and the application is not submitted within six months from the date of expiry, can be treated as a fresh licence application and processed under Regulation 3 or Regulation 4 as the case may be.

The applicant shall upload the documents online but shall maintain the original physical copies with him throughout the period of validity of licence issued by the Authority and shall produce the same whenever sought by the Authority.

7.2 Sub-Regulation (3) and (4) of Regulation 6 shall be substituted, namely;

(3) Documents to be submitted online for renewal:

(a) In case of Individual:

- i) Application in the form as specified;
- ii) Evidence of fee payment;
- iii) Fit and Proper statement in the format as specified by Authority;
- iv) Any other document / information that may be required by the Authority from time to time.

(b) In case of Corporate Surveyors:

- i) Application in the form as specified;
- ii) Evidence of fee payment;
- iii) Fit and proper statement as specified by Authority;
- iv) Any other document / information that may be required by the Authority from time to time.

(4) The application for renewal of licence shall be processed taking into account the eligibility criteria, work performance and compliance with fit and proper norms, including other criteria set out under Regulation 3 and 4, at the time of receipt of such application.

7.3 Sub-Regulations (5) & (6) of Regulation 6 shall be substituted, namely;

(5) The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for renewal of licence, shall renew the same:

- a) In Form-IRDAI-7-LF in case of individuals
- b) In Form-IRDAI-8-LF in case of Corporate Surveyor and Loss Assessor in the Form given in Schedule-II

(6) A licence so renewed shall be valid for three years from the date of renewal unless cancelled/suspended/surrendered earlier.

8. Regulation 7 - Procedure Where Application for Grant of Licence is Rejected:

8.1 Sub-Regulation (2) of Regulation 7 shall be omitted.

9. Regulation 8 - Procedure Where Application for Renewal of Licence is Refused:

9.1 After clause (b) of Sub-Regulation (1) of Regulation 8, the following shall be inserted, namely;

(c) The Surveyor and Loss Assessor has not carried any of the duties and responsibilities as specified in Regulation 13.

10. Regulation 9 - Issue of Duplicate Licence:

10.1 In Sub-Regulation (1) of Regulation 9, the words “in FORM-IRDAI-9-AF given in the Schedule-II to these Regulations” shall be substituted with the words “in the Form as may be specified”.

11. Regulation 13 - Duties and Responsibilities of a Surveyor and Loss Assessor:

11.1 Clause (i) of Sub-Regulation (1) of Regulation 13 shall be substituted, namely;

Commenting on the admissibility of the claim and assessing the liability of the insurer as per the policy terms and conditions.

11.2 Clause (k) and (l) of sub-regulation (1) of Regulation 13 shall be omitted.

11.3 After clause (q) of Sub-Regulation (1) of regulation 13, the following shall be inserted, namely;

(r) Any licensed Surveyor and Loss Assessor appointed as Director / Partner of a Company / Firm seeking application for grant of Corporate Surveyor licence, shall undertake survey jobs and issue survey reports only in the capacity of Director / Partner of the Applicant Company / Firm.

12. Regulation 14 -

- 12.1 Heading of Chapter V, “Categorisation of Surveyors” shall be omitted.
- 12.2 Sub-Regulation (1) of Regulation 14 shall be omitted.
- 12.3 Sub-Regulation (2) of Regulation 14 shall be omitted.

13. Regulation 15 - Functions of the Institute:

- 13.1 Sub-Regulation (1) of Regulation 15 shall be substituted namely;

(1) (a) **Membership:** The Institute shall grant membership to the person eligible, within 15 days from the date of receipt of application for membership.

(1) (b) **Training, seminars and workshops:** Post-licence training either directly or online may be given by the Institute with different modules of training being offered for various departments provided that such training, seminars and workshops of the Institute shall have prior approval of the Authority.

The above upgradation of knowledge is part of the continuous professional development and skills and is not a pre-requisite for licensing or renewal.

- 13.2 In Sub-Regulation (2) of Regulation 15, the words “any level of” after the words “the Institute declines” shall be omitted.

14. Regulation 16 - Code of Conduct:

- 14.1. After Sub-Regulation (3) of Regulation 16, following Sub-Regulations shall be inserted, namely;

(3A) not accept any direct or indirect benefits in any manner whatsoever other than the fee agreed upon for insurance survey and loss assessment.

- 14.2. In Sub Regulation (10) of Regulation 16, words “for a period of twelve months” shall be omitted.

- 14.3. Sub Regulation (18) of Regulation 16 shall be substituted, namely;

(18) shall undertake survey jobs in a Company / Firm only as an Employee/Director/Partner. In case of an employee doing the survey, the survey report shall be signed by the employee and counter signed by the Director / Partner of Corporate Surveyor.

- 14.4. After Sub-Regulation (19) of Regulation 16, the following Sub-Regulations shall be inserted namely;

(19A) - insurer shall conduct enquiry in case of violation of Code of Conduct by the Surveyor and Loss Assessors appointed.

(19B) - insurer and Directors/Partners of Company/Firm shall ensure that interim and final survey and loss assessment is carried out by licensed Surveyor and Loss Assessor.

(19C) Directors and Partners of Company/Firm shall exercise reasonable and prudent oversight on all actions of Surveyors and Loss Assessors employed by the Company / Firm.

15. Regulation 17 - Trainee applicants:

Regulation 17 shall be substituted, namely;

(1) A Student Member seeking a licence to act as a Surveyor and Loss Assessor shall enroll with the Authority to pass the examination and shall undergo practical training as specified by the Authority.

(2) Every applicant who is a Student Member shall:

(a) Behave ethically and with integrity. Integrity implies not merely honesty but fair dealings and truthfulness.

(b) Not accept / perform / undertake any survey works and not issue any survey report without holding a valid licence issued by the Authority to act as Surveyor and Loss Assessor.

(c) Maintain at all times, proper record of training.

(d) Disclose all information relating to any proceedings initiated or investigation pending or carried out against him/her by any agency and details of the outcome thereof.

- (e) Follow any other instructions specified by the Authority from time to time.
- (3) Student Member shall pass the examination and submit the training completion certificate as specified by the Authority for seeking grant of a licence under Regulation 3.
- (4) If a Surveyor and Loss Assessor already licensed by the Authority seeks to obtain licence in additional department(s) of general insurance business other than for which he has been licensed, he shall fulfil the eligibility criteria as specified by the Authority.

16. Regulation 18 shall be omitted.

17. Regulation 21 - Submission of Reports by Insurers:

Regulation 21 shall be substituted namely;

- (1) Every insurer shall have a Board approved surveyor management policy with regard to empanelment of surveyors, utilization of surveyors and allotment of survey jobs to licensed surveyors.
- (2) Every insurer shall monitor the performance of Surveyors, including compliance with the code of conduct and the duties and responsibilities laid down in these regulations. It shall be the responsibility of the insurer to enquire into case of violation of code of conduct brought to its notice, conduct the necessary enquiry and investigation and report cases of wherever violation is established, to the Authority immediately.
- (3) Every insurer shall file with the Authority report on misconduct of licensed surveyors annually.
- (4) Every insurer shall maintain the following details and such records:
- Details of utilization of Surveyors for each line of business, along with the estimated claim amount on the basis of which a Surveyor is appointed;
 - Details of timelines for submission of reports by Surveyors;
 - Details of complaints, if any, against Surveyors and manner of disposal of the same including action taken against Surveyors, if any;
 - Details of survey fee pending;
 - Details of monitoring the performance of Surveyors in terms of quality and compliance to regulatory timelines and code of conduct;
 - Quarterly data on misconduct of licensed Surveyors, including, action, if any taken, on the employee Surveyors under the employment rules;
 - Half-yearly data in the format as specified;
 - Details of the number of claims reported, number of claims surveyed by in-house / individual / Corporate Surveyors, number of claims settled, amounts paid, number of claims outstanding, amounts involved, reasons for claims outstanding, time taken for claim settlement, claims settlement ratio. The report may be prepared state-wise, surveyor-wise, amount-wise or on any other parameter considered appropriate.

The details given above need to be maintained separately for Individual Surveyors and Corporate Surveyors state-wise, surveyor-wise, amount-wise and shall be maintained as per timeline prescribed in Sub-Rule (8) of Rule 39 of the Insurance Rules, 1939 unless there is litigation involved in which case it shall be maintained as long as required.

The information, reports, data required under these Regulations shall be maintained in electronic / digital form for timely submission of the same to the Authority as and when required or called for.

- (5) Any other relevant data /requirement as may be specified.

18. After Regulation 25, the following Regulation shall be inserted, namely;

25 (A) Voluntary Surrender of Licence:

- (1) A Surveyor and Loss Assessor whether Individual or Corporate, licensed under these Regulations may make an application to the Authority for surrender of their licence with the following documents:
- a. A declaration of completion of all assignments on hand and that no fresh cases are taken up from the date of request for surrender of licence;

- b. A certified copy of resolution of the Board of Directors recording reasons for surrender of licence (in case of Corporates);
- c. To notify & inform to the Registrar of Companies and comply with their requirements under Companies Act for deletion of main objects of MOA/AOA or produce proof of steps taken to de-register the Company with Registrar of Companies (in case of Corporates);
- d. Original copy of valid licence;
- e. Any other information, required by the Authority.

The Authority may consider such application on merit provided Surveyor and Loss Assessor is in compliance with all the regulatory requirements before applying for surrender of licence.

- (2) Upon acceptance of the application for surrender, the Authority may pass an order for surrender of licence.
- (3) The Surveyor and Loss Assessor whose licence is surrendered and accepted by the Authority shall not carry out any new insurance claims related survey and loss assessment work thereafter.

19. Regulation 27 - Transitory Provisions shall be substituted, namely;

Qualification Requirement for Licensed Surveyors and Loss Assessors:

The qualification specified in the Regulations are prospective and shall be applicable to the applicants who apply for licence to act as Surveyor and Loss Assessor after the date of notification of these Regulations.

Provided, if an already licensed Surveyor and Loss Assessor seeks to act as a Surveyor and Loss Assessor in a new department of general insurance business, he shall apply for such new department after fulfilling the qualifications and other eligibility criteria with respect to such new department as specified in these Regulations.

20. After Regulation 27, the following shall be inserted, namely;

Regulation 28: Power to Frame Guidelines

The Authority may issue guidelines on the following:

- 1) Practical training and approved Institutions;
- 2) Forms for application of licence and renewal;
- 3) Mode of payment of fee;
- 4) Formats for Declaration cum undertaking;
- 5) Fit and Proper Criteria along with the Format;
- 6) Any other documents or procedures required under these Regulations.

21. Schedule 1, Annexure 1 shall be substituted, namely;

Schedule-I

Annexure-1

IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015

Qualification Criteria for Enrolment and Licensing of Surveyors and Loss Assessors (Regulation 3)

SL. No.	Department	Academic / Technical / Professional / Insurance Qualifications
1.	Fire	B.E. / B. Tech. / B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent, Diploma in Engineering of three years duration; Associate or Fellow members of Institute of Chartered Accountant of India /Institute of Cost Accountants of India, (ICAI), Fellow members of Insurance Institute of India (III), Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM; PGDM from National Insurance Academy.
2.	Marine Cargo	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent thereof (Marine Engineering/ Naval Architecture), / certificate of competency as Master of Ship or as First Class Marine Engineer issued by a recognized authority, Degree or diploma in Naval Architecture of a recognized University or Institute. Diploma in Engineering of three years duration; Associate or Fellow members of Institute of Chartered Accountant of India /Institute of Cost Accountants of India, (ICAI)/III./Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM, MBA (Logistics and Supply chain management), PGDM from National Insurance Academy.

3.	Marine Hull	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent thereof (Marine Engineering/ Naval Architecture)/ certificate of competency as Master of Ship or as First Class Marine Engineer issued by a recognized authority.
4.	Engg.	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent , Diploma in Engineering of 3 years duration from a recognized institution or its equivalent thereof.
5.	Motor	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent thereof (Mechanical/ Automobile); Diploma in Mechanical Engineering/ Automobile Engineering of 3 years duration from a recognized institution or its equivalent thereof.
6.	Miscellaneous	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent; Diploma in Engineering of 3 years duration from a recognized institution or its equivalent; Associate or Fellow Member of ICAI (CA/CMA) Fellow member of., Insurance Institute of India (III) or Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM, PGDM from National Insurance Academy.
7.	LOP	Fellow members of Institute of Chartered Accountant of India /Institute of Cost Accountants of India, (ICAI), B.Tech/B.E, Diploma in Engg of three years duration.
8.	Crop Insurance	B.Sc Agriculture / B.Sc. Horticulture/B.Tech (Agricultural Engineering).

Note:

In order to qualify for enrolment and licensing, an applicant should have secured a degree or diploma of a recognized Institute after attending full time course as a regular student or part time course with equivalency certificate issued by the respective Institute/University.

Provided in case of professional courses viz. A.M.I.E; CA/CMA (ICAI) and I.I.I., course completion certificate is treated as valid qualification.

All technical Degree/Diploma stated above shall be obtained from a. AICTE approved Institutions or b. Universities recognized by University Grants Commission or c. institutions of national importance recognized by Ministry of Human Resources Development (MHRD).

22. i) In Schedule I, Annexure 2, Fit & Proper criteria shall be omitted.

ii) In Schedule II, the following forms shall be omitted:

- a. FORM - IRDAI - 1 - AF
- b. FORM - IRDAI- 3 - AF
- c. FORM - IRDAI - 5 AF
- d. FORM - IRDAI - 6 - AF
- e. FORM - IRDAI- 9-AF
- f. FORM – IRDAI-13
- g. FORM –IRDAI-14
- h. FORM –IRDAI-15
- i. FORM-IRDAI-16
- j. FORM-IRDAI-17 AF
- k. FORM-IRDAI-18 AF
- l. FORM IRDAI-19

23. In Schedule II, the following changes shall be made:

- a. In FORM-IRDAI-2-LF, *the words “*working as sole proprietor of ___”;* “and level of membership” and “level of membership” in table shall be omitted.
- b. In FORM IRDAI-4LF, the words “and level of Membership” shall be omitted.
- c. In FORM - IRDAI- 7-LF- the words “*working as sole proprietor of ___”, and “level of membership” in table shall be omitted.
- d. In FORM-IRDAI-8LF, the words “and categories” shall be omitted.
- e. In FORM IRDAI-10LF, the words “level of Membership” shall be omitted.

DR. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT/ III/4/Exty./385/2020-21]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide number 359 dated 3rd November 2015 and were last amended vide number 205 dated 17th May, 2017.